DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Monday, 28th January, 2013/ 08 Magha, 1934 (Saka)

No.: 177

Sub: Guidelines for issue of Vehicle Passes.

Hon'ble Members are informed that keeping in view the security concerns of the historical Legislative Assembly building and complex, Hon'ble Speaker has desired that the vehicle passes – MLA/P Label be issued with a utmost care in the following manner:-

1. The vehicle passes of governmental/ private persons shall not be renewed. Instead fresh passes shall be issued on recommendation of Hon'ble MLAs on production of registration certificate of the vehicle.
2. There shall be a ceiling of 2 MLA passes for issue to the Hon'ble Member after the submission of registration certificate of the vehicles that is registered in the name of the Hon'ble Member or his family members.
3. The Hon'ble Members are requested to recommend minimum number of persons for issue of vehicle passes (Parking Label) and in any case Hon'ble MLA should not recommend more than 3 persons during a year for issue of parking passes to genuine persons for their private vehicles. The application and recommendation of Hon'ble MLA should be accompanies with Registration certificate which should be in the name of the applicant. The application without the copy of RC will not be accepted. Kindly note that persons with Criminal record be no recommended for vehicle pass by Hon'ble Members.
4. The vehicles not registered in Delhi shall not be issued any kind of pass-whether MLA Pass or Parking Pass.

P.N. MISHRA
Secretary

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग–23
विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी

सोमवार, 28 जनवरी, 2013 / 08 माघ, 1934 (शक)

संख्या–177

विषयः– कार पार्किंग लेबल जारी करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि ऐतिहासिक विधान सभा परिसर एवं भवन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा ने एम.एल.ए. एवं पी लेबल कार पार्किंग जारी करने के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया हैः–

1. पूर्व में जारी किए गए सरकारी / निजी व्यक्तियों के पार्किंग लेबलों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। नए पार्किंग लेबल माननीय विधायकों की सिफारिश पर वाहन का पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही जारी किए जायेंगे।
2. माननीय विधायकों के लिए अधिकतम 02 एम.एल.ए. कार पार्किंग लेबल माननीय विधायक अथवा उनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत वाहनों का पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद जारी किए जायेंगे।
3. माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि कृपया कम–से–कम संख्या में कार पार्किंग लेबल जारी करने की सिफारिश करें एवं किसी भी हालत में कोई भी माननीय सदस्य निजी वाहनों के लिए वर्ष में 03 कार पार्किंग लेबलों से अधिक की सिफारिश न करें। आवेदन पत्र एवं माननीय विधायक की संस्तुति के साथ गाड़ी का पंजीकरण प्रमाण–पत्र संलग्न होना चाहिए, जो कि आवेदक के नाम से हो। पंजीकरण प्रमाण–पत्र के बिना कोई भी पार्किंग लेबल जारी नहीं किया जाएगा। माननीय सदस्य कृपया आपराधिक मामलों में लिप्त व्यक्तियों के लिए गाड़ियों के पार्किंग लेबल की सिफारिश न करें।
4. जो वाहन दिल्ली में पंजीकृत नहीं होंगे, उनके लिए किसी भी प्रकार के पार्किंग लेबल–**MLA/P.** जारी नहीं किए जाएंगे।

पी.एन. मिश्रा
सचिव